



**इलाहाबाद विकास प्राधिकरण**  
**गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र**

7

यह अनुमति केवल उद्योग नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 c 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इच्छा यह न समझना चाहिये कि उक्त भूमे के सभ-8 में जिस पर गठान देने इच्छा किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इलाका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अंतर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निस्क्रियता या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभार न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री श्रीमती गणेशिका

पति / पति का नाम श्री डॉ. वी. जगदीश

सुलतान अहमद ग/ 10 डिवा. नगरपालिका गड्ड मकान नं. 10 डिवा. नगरपालिका

में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्राथमिक निर्माण कार्य शुरू किये गये हैं, संविदा के विहित भवन क्षेत्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।




25/8/2016  
21/8/2016  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद

नोट :- आ. नि. कल. पा. 28/1/2016 के अन्तर्गत निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।


- यह स्वीकृत पत्र केवल 90 दिनों के अन्दर ही वैध रहेगा। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत प्राधिकरण के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे निरसामा जा सकता है। जिसका पूर्ण जवाब प्राथी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचित विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्मित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इरा प्रकार की वह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचित विकास प्राधिकरण दूर हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।
- इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि गेटोंको, बारजा, चौड़िया, सीढ़ी, स्तूप नये अथवा बुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की परती अथवा सड़क या नाली के किसी भंग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी दायर हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कर तो पहले ही उसे अपने खर्च से नरगत करवाकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के साथ इलाका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इलेक्ट्रिसिटी सलस 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
- प्राथी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को गकान की नींव तक तथा ऊत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाई अराम की जायेगी।

*Beal*  
*Ganeshika*  
21/8/2016

प्रस्तावना:-  
 1. संलग्न में प्रो. 2012 के अन्तर्गत का माह में म्या. का. 10 दिवस का  
 भूखण्ड का नया नक्शा  
 2. संलग्न में म्या. का. 10 दिवस का नया नक्शा



THIRD FLOOR PLAN



FRONT ELEVATION

SECTION ON 'AB'

LEGEND


COMPILING COVERED AREA SHOWN THUS	[Symbol]
SANCTION / PERM. COVERED AREA SHOWN THUS	[Symbol]
PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS	[Symbol]
EXISTING TO BE DEMOLISHED SHOWN THUS	[Symbol]
RAIN WATER PIPE SHOWN THUS	[Symbol]

SCHEDULE OF DOOR/WINDOW


S. No.	PARTICULAR	SIZE
1.	DOOR D1	1050X3400
2.	D2	1000X2400
3.	D3	900X2000
4.	D4	750X2000
5.	WINDOW W5	1500X1800
6.	W4	1200X1800
7.	W4'	1200X1500
8.	V3	800X 450




KEY PLAN (N.T.S)




FIRST & SECOND FLOOR PLAN




BASEMENT PLAN



SITE PLAN



PLAN



X-SECTION DETAIL OF R. W. H. PIT AND WELL (N.T.S.)

AREA STATEMENT		DESCRIPTIONS		AREA
S. No.				In Sqm.
1.	TOTAL PLOT AREA			254.30
2.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE (50% of total plot area)			127.15
3.	COMPILING GROUND COVERAGE (10% of perm. G.C.)			12.72
4.	TOTAL GROUND COVERAGE (2+3)			140.87
5.	PERMISSIBLE F.A.R. (1.50 of total plot area)			381.45
6.	COMPILING F.A.R. (10% of perm. F.A.R.)			39.65
7.	TOTAL F.A.R. (1.50+10% of perm. F.A.R.)			421.10

DETAIL AREA CHART		EXIST. AREA		EXIST. IN OTHER THAN PERM. LIMIT		COMPILING AREA					EXISTING TO BE DEMOLISHED / FILLED BY EARTH								
S. No.	FLOOR	EXIST. AREA	SANIC. AREA	F.S.B.	S.S.B.-1	S.S.B.-2	R.S.B.	OTHER THAN S.B.	Total	F.S.B.	R.S.B.	OTHER THAN S.B.	Total	F.S.B.	S.S.B.-1	S.S.B.-2	R.S.B.	OTHER THAN S.B.	Total
A	BASEMENT FLOOR	134.25	100.00	-	16.60	20.00	2.47	98.10	134.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	GROUND FLOOR	148.63	132.73	-	-	-	12.70	136.93	148.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	FIRST FLOOR	148.63	131.69	-	-	-	12.70	136.93	148.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	SECOND FLOOR	148.63	139.79	-	-	-	12.70	136.93	148.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	THIRD FLOOR	44.24	-	-	-	-	10.22	30.02	44.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	TOTAL FOR F.A.R.	448.87	383.51	-	-	-	38.19	410.79	448.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	TOTAL FOR CHARGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	F.A.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJECT  
 COMPILING / SANCTIONED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON HOUSE NO.-17 (OLD)/10 (NEW), AT SHIV CHARAN LAL ROAD, ALLAHABAD

DRG. NO. / HMC/COMP-03/08MAY-10

SHEET NO. / 1

SIZE / A2

SCALE / 1:100

REVISED DATE / MAY 10

DEALT BY / GAGAN

CHECKED BY / E. MITHLESH KUMAR

OWNER / SRI YOGESH BHARGAVA, SRI NEERA BHARGAVA, SRI NIKHIL BHARGAVA, SRI YOGESH BHARGAVA

SEAL & SIGN. OF ENGINEER / EC Mithlesh Kumar, B.Tech. CIVIL, G.L.E., Registered as Engineer (P&C)

SEAL & SIGN. OF ENGINEER / HOME CONSULTANT, 790710-4 SATYA PRATA STREET (1) ROAD, ALLAHABAD, PIN 202012